

सशस्त्र बल और व्यभिचार

प्रलिस के लयः

व्यभिचार, भारतीय दंड संहति (IPC) की धारा 497।

मेन्स के लयः

सशस्त्र बल और व्यभिचार।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने नरिणय दया है कसिसशस्त्र बल व्यभिचारी कृत्यों के लयि अपने अधिकारियों/कर्मयिों के खलिाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि [व्यभिचार](#) का अपराध सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होता है।

- सर्तिबर 2018 में जोसेफ शाइन नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को अपराध बनाने वाली IPC की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दया जो महिलाओं को उनके पति से कमतर मानती है जसिसे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता था।

हालया नरिणयः

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कया कि वर्ष 2018 का फैसला केवल IPC की धारा 497 और व्यभिचार से संबंधित CrPC की धारा 198 (2) की वैधता से संबंधित था तथा सेना, नौसेना एवं वायु सेना अधनियमों के संबंध में "प्रभाव पर वचिर करने का कोई मामला नहीं था"।
 - तीनों सेवाओं- सेना, नौसेना और वायु सेना के रक्षाकर्मयिों को वशिष कानून, सेना अधनियम, नौसेना अधनियम और वायु सेना अधनियम द्वारा शासति कया गया था।
 - ये वशिष कानून उन कार्मकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतर्बिध लगाते हैं, जो अत्यधिक अनुशासन की आवश्यकता वाली वशिषि्ट स्थिति में कार्म करते हैं।
 - तीनों कानून संवधान के [अनुच्छेद 33](#) द्वारा संरक्षति हैं, जो सरकार को सशस्त्र बलों के कर्मयिों के [मौलिक अधिकारों](#) को संशोधति करने की अनुमतति देता है।
- खंडपीठ ने मामले में अंतमि आदेश देते हुए यह स्पष्ट कया कि जोसेफ शाइन नरिणय उन सशस्त्र बलों के सदस्यों पर लागू नहीं होता है जनि पर 'अशोभनीय आचरण' करने का आरोप है और इस प्रकार अपील को खारजि कर दया गया।

महत्त्वः

- व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाना सशस्त्र सेवाओं के सदस्यों को व्यभिचारी गतविधयिों का दोषी बनाने से रोक सकता है। जब जवानों और अधिकारयिों को शत्रुतापूर्ण वातावरण में तैनात कया जाता है, तो अन्य अधिकारी बेस कैप में परिवारों की देखभाल करते हैं एक्व्यभिचारी या अनैतिक व्यवहार में संलग्न होने के परिणामों को नरिदशि्ट करने वाले कानून तथा नयिम अनुशासन बनाए रखने में सहायता करते हैं।
- एक सहकर्मी की पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले सशस्त्र सेवा के सैनिकों को इस अशोभनीय कार्म करने के लयि उनकी नौकरी से बरखास्त कया जा सकता है।

व्यभिचारः

- परचियः
 - व्यभिचार को एक वविहति महिला/पुरुष द्वारा पति या पत्नी के अलावा कसिी अन्य साथी के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध के रूप में परिभाषति कया गया है।
- IPC की धारा 497ः
 - कोई भी व्यक्त्ति जो कसिी अन्य व्यक्त्तिकी पत्नी के साथ उस व्यक्त्तिकी सहमतया जानकारी के बिना यौन क्रया में संलग्न होता

है, वह व्यभिचार का अपराध करता है और सज़ा के अधीन है। इस गतिविधिको बलात्कार नहीं कहा जाना चाहिये।

- कानून उस महिला को दंडित नहीं करता है, क्योंकि विह मान कर चलता है कि केवल पुरुष ही एक महिला को यौन क्रिया के लिये फुसला सकता है और यह ऐसे में पति की सहमति के बिना पत्नी के यौन संबंधों के कारण पति को पीड़ित मानता है जबकि महिला को पति द्वारा किये गए समान कृत्य के संबंध में सुरक्षा प्राप्त नहीं है।
- भारतीय सशस्त्र बलों में व्यभिचार पर रोक हेतु प्रावधान:
 - जहाँ तक भारतीय सशस्त्र बलों की बात है, सैन्यकर्मि व्यभिचार पर कानून सहित IPC के प्रावधानों के अधीन हैं। इसके अलावा भारतीय सेना की अपनी आचार संहिता और नयिम हैं जो व्यभिचार तथा अनैतिक व्यवहार के अन्य रूपों पर रोक लगाते हैं।
 - भारतीय सशस्त्र बल व्यभिचार के लिये प्रशासनिक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई, या कोर्ट-मार्शल सहित कई तरह के दंड दे सकते हैं।
 - ऐसे मामलों से निपटने के लिये नयिम और प्रक्रियाएँ भारतीय सैन्य न्याय प्रणाली द्वारा स्थापित की जाती हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/armed-forces-and-adultery>

